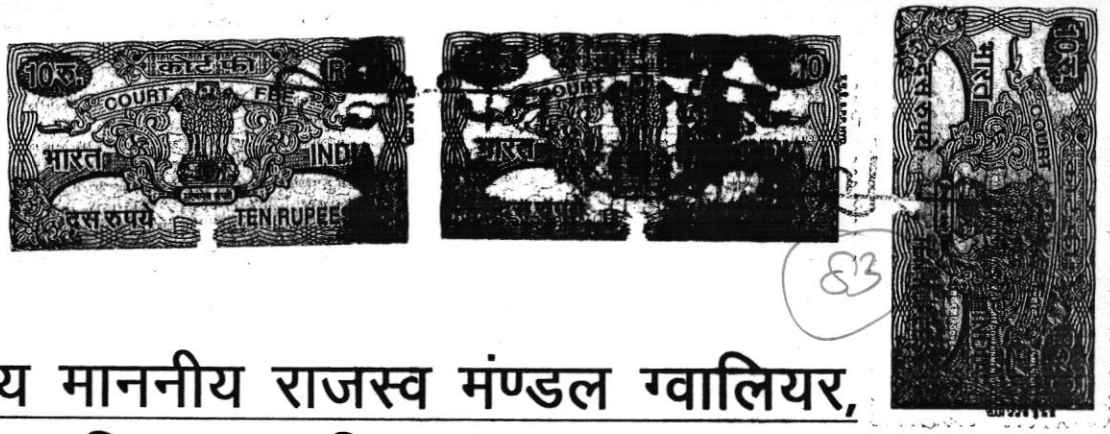

न्यायालय माननीय राजस्व मंण्डल ग्वालियर, जिला–ग्वालियर(म.प्र.)

R 1013 – I – 17

प्र.कं.   / 017 निगरानी

मुकेश ऐलिया पुत्र श्री रामकिशन ऐलिया, निवासी नेहरूचौक, तह. बासौदा, जिला– बिदिशा (म.प्र.)
.................निगरानीकर्ता

बनाम

भगवतनारायण पुत्र अनोखीलाल ब्राम्हण, निवासी पठार मोहल्ला तहसील गंज बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)   ....निगरानीग्रहिता

1. निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता.
2. खिलाफ आदेश दिनांक 20.03.2017 न्यायालय एस.डी.ओ. गंजबासौदा, जिला विदिशा(म.प्र.), प्रकरण कं. 61/14–15 अपील व मामले भगवत नारायण बनाम मुकेश ऐलिया, ग्राम पठारी, तहसील बासौदा, जिला– विदिशा (म.प्र.)

श्रीमानजी,

निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि, अपीलांट/निगरानीग्रहिता ने ग्राम पठारी बासौदा की आराजी कमांक 179 रकवा 5.280हैक्ट. भूमि के संबंध में निगरानीग्रहिता का नामांतरण पंजी कमांक 30 आदेश दिनांक 22.08.1995 को निरस्त कराने एस.डी.ओ. न्यायालय बासौदा में लगभग 22 बर्ष वाद बिलंव से अपील प्रस्तुत की। जिसको अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व रूप से अपीलांट / निगरानीग्रहिता का धारा 5 अवधी विधान का आवेदन स्वीकार किया, जिससे दुखित होकर निगरानी इस प्रकार है।

–: निगरानी इस प्रकार है :–

1. यह कि आदेश अधिनस्थ न्यायालय विधि रिकार्ड एवं साक्ष्य के विपरीत है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, अधिनस्थ न्यायालय ने कानून पालन नहीं किया है।

2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि, अपीलांट / निगरानीग्रहिता 20–22 बर्षो तक क्या करता रहा। धारा 5 अवधी विधान में

(13)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1013-एक/17 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	